महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/23358-68 दिनांक: 09.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज,
बरेली।

विषयः **फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज,बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज,बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत** दिनांक 01.07.2018 से **अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति** निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी

03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तो प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यकमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।

08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंत्यंताओं का निर्माण भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. उप–कुलसचिव सम्बद्धता।
06. निजी सचिव, कुलपति ।
07. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
08. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
09. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :— रू0वि0/सम्ब0/2013/9597-607 दिनांक:— 16.12.2013

सेवा मे,
प्रबन्धक
फ्यूचर इस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज,
शाहजहांपुर रोड, बरेली।

विषयः— संस्था फ्यूचर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, शाहजहांपुर रोड, बरेली को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम/विषय में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2013—14 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 24.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उ0प्र0शासन के पत्रांक सम्ब0 380/सत्तर—2—2013 —2(380)/2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013 के द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन फ्यूचर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, शाहजहांपुर रोड, बरेली को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी०बी०ए० एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2013 से इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त सम्बद्धता आदेश निर्गत करने से पूर्व महाविद्यालय से सक्षम स्तर से प्रमाणित नजरी नक्शा प्राप्त कर लिया जायेगा।

संस्था द्वारा उक्त पत्रजात उपलब्ध करा दिये जाने की स्थिति में तथा उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त उक्त पत्र के आलोक में कुलपति द्वारा फ्यूचर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, शाहजहांपुर रोड, बरेली को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी०बी०ए० एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम/विषय में 01.07.2013 से सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है—

1. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
2. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा—37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा—37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:—

   37(6):— कार्यपरिषद के प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय—समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

   37(7):— कार्यपरिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
   उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

4. अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. परिषद शासनादेश संख्या—2881/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—622/सत्तर—2—2013—2(660)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,
कुलसचिव

पत्रलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
1. वित्त अधिकारी
2. उप/सहायक कुलसचिव(परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।

कुलसचिव